प्रकाशन संख्या 517

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 507

शिक्षा विभाग से संबंधित सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1998-99 (3.19), 2003-04 (4.3.2) एवं 2006-07 (4.2.4) पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन 1998–99(सिविल) का आपत्ति पृष्ठ संख्या 50–51 द्रष्टव्य।

माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग

3.19 राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के लिए कोई छात्र नहीं

बिहार सरकार द्वारा अन्य भाषाओं एवं विषयों के साथ–साथ संस्कृत भाषा के शैक्षणिक स्तर को उठाने के लिये बिहार के 17 जिलों में राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालयों की स्थापना की गई थी। साहित्य, व्याकरण एवं ज्योतिष पर अत्यधिक प्रयत्न के साथ साथ कला, विज्ञान इत्यादि में छात्रों का नामांकन प्रणाली में विचारित था।

राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 1998) से प्रकटित हुआ कि वर्ष 1995–96 से 1997–98 के बीच विद्यालय में किसी भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, एक प्राचार्य, 4 शिक्षक (आधुनिक विषय/विज्ञान), 4 आचार्य, एक लिपिक एवं एक चपरासी, जिनकी पदस्थापना विद्यालय में की गई थी, बिना काम के थे, जबकि इस अवधि में उनके वेतन एवं भत्ते पर 29.31 लाख रुपये खर्च किये गये थे। विभाग द्वारा अब तक उनकी सेवाओं का लाभप्रद उपयोग की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (जून 1999); उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण/उत्तर

प्रधानाध्यापक, राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत है–––

विद्यालय की अपनी भूमि, भवन एवं उपस्कर के अभाव में अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराने में अभिरूचि नहीं ले रहें हैं। वर्ष 1992 से 1996 तक बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा मध्यमा की परीक्षा संचालित नहीं हो पायी, जिससे छात्र अपना नामांकन नहीं करा पाये।

वर्षवार छात्रों की संख्या एवं वेतनादि मद में खर्च की विवरणी निम्नवत है–––

वर्ष	छात्रों की संख्या	वेतनादि पर खर्च
1995–96	नगण्य	9,23,017.00
1996–97	नगण्य	8,77,528.00
1997–98	नगण्य	11,10,401.00

छात्रों के नामांकन नहीं होने का मूल कारण निम्नवत हैं–––

1. विद्यालय का निजी भवन, भूमि एवं उपस्कर का अभाव।
2. समय पर निजी भवन, भूमि एवं उपस्कर का अभाव।
3. कल्याण विभाग से छात्रवृति के रुप में प्रतिमाह प्रति छात्र 30.00 रुपया प्रतिमाह की दर से दी जाने वाली राशि बंद होना।

4. राज्य के सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 10 प्रतिशत मध्यमा परीक्षा के उत्तीर्ण छात्रों का नामांकन के आरक्षण का बंद होना आदि।

वर्तमान में 11 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के साथ–साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जा रही है। विद्यालय में पठन–पाठन कार्य सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए विद्यालयों में रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद पर नियुक्ति हेतु उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इसके कार्यान्वयन के उपरांत राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

विभागीय उत्तर परिशिष्ट "क" पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

समिति द्वारा दिनांक 27 अप्रील, 2011 की बैठक में प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग के सकारात्मक मन्तव्य एवं विभागीय उत्तर के आलोक में इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया कि जिन विद्यालयों में छात्र नहीं है, उन विद्यालयों को विभाग शीघ्र संचालित कराये।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन 2003–04(सिविल) पृष्ठ संख्या 85–86 द्रष्टव्य।

माध्यमिक, प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा विभाग

4.3.2 अनुदान का परिहार्य भुगतान

86 अयोग्य संस्कृत विद्यालयों को समय पर अमान्य करने में बी. एस. एस. बी. की विफलता के कारण उनके शिक्षण तथा गैर–शिक्षण कर्मियों के वेतन भुगतान पर 6.80 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना तथा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (बी. एस. एस. बी.), पटना के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1981 से पूर्व मान्यता प्राप्त 429 गैर सरकारी संस्कृत विद्यालयों का सरकार द्वारा अधिग्रहण (दिसम्बर 1989) किया गया। शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मियों के वेतन का भुगतान सरकार से प्राप्त अनुदानों से किया गया।

1989 तथा 1995 के मध्य 13 जिलों के जिलाधिकारियों / उपविकास आयुक्तों द्वारा इन विद्यालयों की स्थिति की जाँच से ज्ञात हुआ कि संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के लिए आवश्यक शर्त्तों (भवन के लिए भूमि की उपलब्धता, छात्रों की संख्या, पुस्तकालय इत्यादि) को पूरा करने में 86 विद्यालय अक्षम रहे। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने दिसम्बर 1989 के प्रभाव से इन विद्यालयों के अनुदानों का भुगतान करना बन्द कर दिया (नवम्बर 1995)। फलस्वरूप उन विद्यालयों के शिक्षण / गैर शिक्षण कर्मियों को उसके बाद वेतन मिलना बन्द हो गया।

प्रभावित कर्मियों द्वारा दायर एक याचिका (1999) पर उच्च न्यायालय, पटना ने निर्णय दिया (अगस्त 2000) कि बी. एस. एस. बी. द्वारा विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की तिथि तक उन कर्मियों को वेतन की सुविधा मिलेगी। जून 2002 में बी. एस. एस. बी. ने 86 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी। तदनुसार, राज्य सरकार ने दिसम्बर 1995 से 15 जून 2002 की अवधि के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से विद्यालय कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु बी. एस. एस. बी. को 6.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2003)। वर्ष 2003–04 के दौरान शिक्षकों का भुगतान कर दिया गया।

यदि बी. एस. एस. बी. द्वारा इन विद्यालयों की मान्यता 1995 में ही रद्द कर दी जाती तब 6.80 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के भुगतान से बचा जा सकता था जबकि यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि वे भवन के लिए भूमि आदि आवश्यक शर्त्तों को पूरा नहीं करते थे। यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ ही बी. एस. एस. बी. मान्यता समाप्त करने का आदेश अगस्त 2000 में निर्गत कर देता तब सितम्बर 2000 से जून 2002 के दौरान का वेतन 1.94 करोड़ रुपये बचाया जा सकता था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2005)।

विभागीय स्पष्टीकरण / उत्तर

राज्य सरकार द्वारा 442 विभिन्न कोटि के अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के अधिग्रहण की कार्रवाई 1987 में प्रारंभ की गयी थी। इन 442 में से 13 विवादग्रस्त विद्यालयों को छोड़कर 429 संस्कृत विद्यालयों के अधिग्रहण हेतु अध्यादेश संख्या 32 दिनांक 18-12-89 प्रख्यापित किया गया। संशोधित अध्यादेश के प्रावधानानुसार इन विद्यालयों की जाँच संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से कराये जाने कार्यरत कर्मियों की अहर्त्ता आदि की जाँच किए जाने की वे सरकारी सेवा में लेने योग्य है अथवा नहीं की जाँच की जानी थी। अध्यादेश में निहित प्रावधान के आलोक में इन विद्यालयों की जाँच के बाद स्पष्ट हुआ कि 341 विद्यालय सही है तथा 86 विद्यालय शर्त्तों की पूर्त्ति नहीं करते हैं। जाँच में सही नहीं पाये गए 86 विद्यालयों के वेतनानुदान की सुविधा से वंचित करते हुए उनकी प्रस्वीकृति समाप्त करने की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गयी। इस बीच विद्यालयों से संबंधित अध्यादेश व्ययगत हो जाने के कारण किसी भी विद्यालय का अधिग्रहण नहीं किया गया जिसके विरुद्ध मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

प्रभावित विद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने तथा विद्यालय में मानक मंडल के अतिरिक्त इकाईयों को समाप्त करने के लिए सरकार सक्षम है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात जिस तिथि से विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने तथा अतिरिक्त इकाई समाप्त करने का निर्णय लिया जायेगा। प्रस्वीकृति समाप्त करने तथा अतिरिक्त इकाईयों को समाप्त करने से संबंधित आदेश नवम्बर 95 में निर्गत हुआ था। इसलिए 86 प्रतिकूल विद्यालयों के कर्मियों को नवम्बर, 95 तक वेतनादि का भुगतान किया गया।

उक्त स्थिति के बाद 86 प्रतिकूल विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम की 1981 की धारा 6(2) के अनुसार राज्य सरकार विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। यह शक्ति संस्कृत शिक्षा बोर्ड की है। न्यायालय द्वारा विद्यालयों के पक्ष में न्यायादेश पारित करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में यथासमय एल०पी०ए० दायर किया गया। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अपील को अपने आदेश दिनांक 9-5-01 द्वारा अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सरकार के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सिवाय इसके कि 1995 में भुगतान के बाद की अवधि से आगे की अवधि के लिए बकाये वेतनादि का भुगतान किया जाय।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के 86 प्रतिकूल विद्यालयों को प्रस्वीकृति समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की एवं अध्यक्ष के आदेश संख्या-3077 दिनांक 15-6-02 के द्वारा इन विद्यालयों को प्रस्वीकृति शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण समाप्त कर दी गयी। इस प्रकार इन विद्यालयों के कर्मियों को न्यायादेश के आलोक में प्रस्वीकृति (बोर्ड द्वारा) समाप्ति की तिथि दिनांक 15-6-02 तक की अवधि के भुगतान राज्यादेश संख्या-165 दिनांक 6-2-03 द्वारा संस्कृत शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करा दी। इस संबंध में विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को मुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त संचिका के टिप्पणी भाग के अंश को इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करना चाहेंगे।

विभागीय जवाब की प्रति परिशिष्ट "ख" पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

समिति द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 की बैठक में प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति एवं विभागीय जवाब के आलोक में निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन 2006–07(सिविल) का पृष्ठ संख्या 143–144 द्रष्टव्य।

मानव संसाधन विभाग

4.2.4 मँहगाई भत्तों का अधिक भुगतान

विभाग द्वारा प्रक्रिया में देरी के परिणामस्वरूप मँहगाई भत्ता की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं किए जाने से 39.24 लाख रुपये की हानि और वसूल किए गए राशि को कोषागार में विप्रेषित नहीं किए जाने से 41.03 लाख रुपये ब्याज की हानि। साथ ही 1.44 करोड़ रुपये की वसूली किया जाना शेष है।

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मदरसों को अनुदान देती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी ई ओ) को निधि उपलब्ध कराता है जो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मदरसा प्रभारी को दिया जाता है।

अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सीतामढ़ी के डी ई ओ के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2007) से ज्ञात हुआ कि 1988–97 के दौरान मदरसा शिक्षकों को मँहगाई भत्ता से अधिक 71 प्रतिशत तक भुगतान किए जाने की जानकारी होने पर (अप्रैल 1998) विभाग ने सभी डी ई ओ को मदरसों को विमुक्त किए जाने वाले परवर्त्ती अनुदानों में से अतिरिक्त भुगतानित राशि की कटौती छः किस्तों में कर लेने का निर्देश दिया (अगस्त 2005)। उपरोक्त अवधि में चार जिलों में मदरसा शिक्षकों को 8.27 करोड़ रुपये[58] का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त निर्देश के आलोक में संबंधित जिलों के डी ई ओ ने मदरसा शिक्षकों के वेतन से 6.44 करोड़ रुपये[59] की वसूली की (2005–07) और उसे कोषागार में जमा करने की जगह चालू खाता में रख दिया। अभी भी जून 2007 तक 1.83 करोड़ रुपये की वसूली किया जाना शेष है। अधिक भुगतान की गई मँहगाई भत्ता की राशि 1.83 करोड़ रुपये मे से अगस्त 1996 से फरवरी 2005 के मध्य अवकाश प्राप्त/मृत/पदत्याग/सेवा से निकाले गए 112 शिक्षकों के मँहगाई भत्ता पर अधिक भुगतान की गई राशि 39.24 लाख रुपये अवसूलनीय थी।

उपरोक्त जिलों के डी ई ओ ने बताया (जून 2007) कि सरकार के किसी खास निर्देश के अभाव में वसूल की गई राशि बैंक के चालू खाते में रखी गई।

इस प्रकार 112 शिक्षकों से वसूल नहीं किए जाने से 39.24 लाख रुपये की हानि और कोषागार में 6.44 करोड़ रुपये विप्रेषित नहीं किए जाने से 7.5 प्रतिशत (राज्य की उधार दर) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि (41.03 लाख रुपये) हुई। इसके अतिरिक्त विभाग के अकुशल एवं अप्रभावकारी अनुश्रवण के कारण 1.44 करोड़ रुपये की वसूली किया जाना शेष था।

~~मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2007) ; जवाब अभी अप्राप्त था~~ (अक्टूबर 2007)। मामला विकास आयुक्त से विमर्शित किया गया (नवंबर 2007)।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका 4.2.4 के अन्तर्गत दर्शाए गई राशि 8.27 करोड रूपये के विरूद्ध जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 7,95,00,611/– (सात करोड़ पंचानवे लाख छः सौ ग्यारह) रूपये मात्र मदरसा कर्मियों को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करनी थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सितामढ़ी के अनुसार कुल 7,63,86,854/– (सात करोड तिरसठ लाख छियासी हजार आठ सौ चौवन) रूपये मात्र वसूली की सूचनायुक्त प्रतिवेदन समिति को सौपते हुए शेष 31,13,757/– (इकतीस लाख तेरह हजार सात सौ सन्तावन) रूपये मात्र की वसूली, इससे संबंधित कर्मी की मृत्यु सेवा निवृत्ति, पदत्याग या वेतन भुगतान स्थगित किए जाने के फलस्वरूप नहीं होने की सूचना के साथ प्रारूप कंडिका–4.2.4 को मानव संसाधन विकास विभाग की सूची से विलोपित करने का अनुरोध समिति के किया गया था।

इस दौरान लोक लेखा समिति की बैठक में प्रारूप कंडिका–4.2.4 के अन्तर्गत शेष राशि 31,13,757/– के वसूली के निमित्त समिति के निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया ने अपने पत्रांक–281 दिनांक–25.04.2011 के द्वारा जिले में वसूली हेतु शेष राशि कुल 1503216/– (पन्द्रह लाख तीन हजार दो सौ सोलह) रूपये दो चालानों (1) 1501835/– (पन्द्रह लाख एक हजार आठ सौ पैंतीस) 1381/– (एक हजार तीन सौ इकासी) रूपये मात्र के माध्यम से कोषागार में जमा कराने की सूचना विभाग को प्रतिवेदित किया है। (चालान की प्रति संलग्न)

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक–274 दिनांक–22.04.2011 के द्वारा सूचित किया है कि उनके जिले के अन्तर्गत कुल 3,85,320/– (तीन लाख पचासी हजार तीन सौ बीस) रूपये मात्र वसूली कर ली गई है, जिन्हें क्रमशः दिनांक–13.05.2010 को मो0–353575/– (तीन लाख तीरपन हजार पांच सौ पचहत्तर) रूपये मात्र के दो चालानों के माध्यम से जमा करा दिये जाने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–882 दिनांक–26.04.2011 के द्वारा जिले में अवस्थित 31 प्रस्वीकृत मदरसों में से 21 मदरसों के 35 कर्मियों से राशि वसूली किये जाने की कार्रवाई के तहत मदरसों के 21 (इक्कीस) कर्मियों के विरूद्ध आवासीय पता प्राप्त होने पर Cetificate Case दायर किए जाने की सूचना विभाग को दी गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

शेष कर्मियों का आवासीय पता शीघ्र प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उनके विरूद्ध अविलम्ब Certificate Case दायर करने का निदेश विभाग के द्वारा दिया गया है।

इस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर वसूली गई राशि को कोषागार में जमा की गई चालानों की प्रति के साथ भेजी जा रही है।

विभागीय उत्तर परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 15 जून, 2012 की बैठक में प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि विभाग ने जो सर्टिफिकेट केंस किये हैं, उसके फलाफल से समिति को अवगत कराया जाय, इस कंडिका को निष्पादित किया गया।

ललित कुमार,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

पटनाः
दिनांक 22 फरवरी, 2013(ई0)।

परिशिष्ट "क"

पत्रांक–10 / ल 2–02 / 08........360

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

प्रकाश चन्द्र सिंह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

उप सचिव
बिहार विधान सभा, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक – 26.04.11.....

विषय : लोक लेखा समिति वर्ष 1998–99 की कंडिका संख्या–3.19 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने संबंधी।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में अनुपाल प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 895 दिनांक 29.09.09 द्वारा भेजी जा चुकी है। वर्त्तमान में 11 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के साथ साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जा रही है। विद्यालय में पठन–पाठन कार्य सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए विद्यालयों में रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद पर नियुक्ति हेतु उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इसके कार्यान्वयन के उपरांत राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

26.4.11

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

26/4/11

पत्रांक : 10 / ल2–02 / 08 : 895/

बिहार सरकार

मानव-संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक :

ओंकार नाथ आर्य

उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव

बिहार विधान सभा,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....29.. सितम्बर, 2009।

विषय : लोक लेखा समिति का लंबित वर्ष 1998–99 की कंडिका संख्या–3.19 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1071, दिनांक 14–07–2008 के संबंध में कहना है कि अंकित मामले पर अद्यतन प्रतिवेदन संलग्न है।

कृपया लोक लेखा समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय से इस कंडिका को विलोप्ति करने का अनुरोध किया जाय।

विश्वासभाजन,

29.9.09

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग,

बिहार, पटना।

बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के विचाराधीन लंबित कंडिका 3.19 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	वर्ष	कंडिका सं०	विषय	अनुपालन की अद्यतन स्थिति
1	1998–99	3.19	राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना में कोई छात्र नहीं । वर्ष 1995–96 से 1997–98 के बीच राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना में एक भी छात्र नहीं था। परिणामस्वरूप 1 प्राचार्य, 4 शिक्षक, 4 आचार्य, 1 लिपिक एव 1 आदेशपाल पर 29.31 लाख रू० का व्यय हुआ।	राज्य में स्थित 11 राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्ति का 50 प्रतिशत पद भरने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। साथ ही विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ने पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।

29.9.09

बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के विचाराधीन लंबित कंडिका 3.19 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रमांक	वर्ष	कंडिका सं०	विषय	अनुपालन की अद्यतन स्थिति
1.	1998–99	3.19	राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना में कोई छात्र नहीं । वर्ष 1995–96 से 1997–98 के बीच राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना में एक भी छात्र नहीं था। परिणामस्वरूप 1 प्राचार्य, 4 शिक्षक, 4 आचार्य, 1 लिपिक एवं 1 आदेशपाल पर 29.31 लाख रू० का व्यय हुआ।	प्रधानाध्यापक, राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत है:– विद्यालय की अपनी भूमि, भवन एवं उपस्कर के अभाव में अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन कराने में अभिरूचि नहीं ले रहे हैं। वर्ष 1992 से 1996 तक बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा मध्यमा की परक्षा सचालित नहीं हो पायी, जिससे छात्र अपना नामांकन नहीं करा पाये। वर्षवार छात्रों की संख्या एवं वेतनादि मद में खर्च की विवरणी निम्नवत है:– वर्ष — छात्रों की संख्या — वेतनादि पर खर्च 1995–96 — नगण्य — 9,23,017.00 1996–97 — नगण्य — 8,77,528.00 1997–98 — नगण्य — 11,10,401.00 छात्रों के नामांकन के नहीं होने का मूल कारण निम्नवत है:– 1. विद्यालय का निजी भवन, भूमि एवं उपस्कर का अभाव। 2. समय पर परीक्षा का संचालन एवं परीक्षाफल का प्रकाशन न होना। 3. कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह प्रति छात्र 30.00 रू० प्रतिमाह की दर से ही जाने वाली राशि बन्द होना। 4. राज्य के सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 10 प्रतिशत मध्यमा परीक्षा के उत्तीर्ण छात्रों का नामांकन में आरक्षण का बंद होना आदि।

परिशिष्ट ''ख''

पत्रांक–10 / मु0 3–02 / 02. 660

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक – 5/6/12

विषय : **लोक लेखा समिति की उप समिति–3 की बैठक बिहार विधान सभा स्थित समिति कक्ष में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका में उठाए गये आपत्तियों की अद्यतन स्थिति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक लोक लेखा समिति की उप समिति–3 की बैठक बिहार विधान सभा स्थित समिति कक्ष में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 4.3.2 में उठाए गये आपत्तियों के अद्यतन स्थिति के संबंध में विभागीय पत्रांक 331 दिनांक 21.06.2004 के द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया था जिसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को भी प्रेषित की गई थी। दिनांक 27.09.2011 को हुई बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 331 दिनांक 21.06.2004 एवं संबंधित संचिका संख्या 10 / मु0 3–02 / 02 की पृष्ठ संख्या 55–54 टी0 (मुख्य (वित्त) मंत्री) की छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जाती है।

अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(जितेन्द्र प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक 10/ मु0 3–02/2002 मा0 359

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

प्रकाश चन्द्र सिंह

सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, ले0 पा0

बिहार, पटना।

वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।

उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय

पटना, दिनांक 26.04.11

विषय : लोक लेखा समिति की उप समिति–3 की बैठक बिहार विधान सभा स्थित समिति कक्ष में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका में उठाए गये आपत्तियों के अद्यतन स्थिति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 4.3.2 के संबंध में विभागीय पत्रांक 331 दिनांक 21.06.04 के द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को भी प्रेषित की गई थी। लोक लेखा समिति की बैठक में उक्त अनुपालन प्रतिवेदन भेजी जा चुकी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

26.4.11

(प्रकाश चन्द्र सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

26/4/11

पत्रांक 10/मु03-02/2002मा0-401 :
बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग ।

प्रेषक

श्री अमरेन्द्र नारायण सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अवर सचिव, बिहार

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0प0)
बिहार, पटना

वित्त आयुक्त, बिहार
पटना

उप सचिव लोक लेखा, बिहार विधान सभा सचिवालय

पटना, दिनांक 12.6.06

विषय :- लोक लेखा समिति की उप समिति-3 की बैठक बिहार विधान सभा लेखा समिति कक्ष में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं उठाए गए आपत्तियों के निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर लोक लेखा समिति के पत्रांक 217 दिनांक 27-5-06 द्वारा कहा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका- 4.3.2 के संबंध में विभागीय पत्रांक 331 दिनांक 21-6-04 के द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसकी प्रतिलिपि [illegible] किया, को भी प्रेषित की गई थी । दिनांक 8-6-06 को लोक लेखा समिति की बैठक में उक्त अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की सूचना दी गई । उसी आलोक में उक्त अनुपालन की टंकित प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गए आपत्तियों को निष्पादित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

12/6/06

सरकार के अवर सचिव ।

अत्यावश्यक
गोपनीय
निबंधित

पत्रांक-10/मु3-02/2002 शि0-

बिहार सरकार

सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग ।

प्रेषक,

श्री गिरीश शंकर,
सचिव (माध्यमिक शिक्षा) ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0प0)
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-   जून, 2004 ।

विषय:- 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालयों के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धसरकारी पत्र सं0 रिपोर्ट (सिविल) स0आर0/ 203-04/डी0पी0-31/114 दिनांक 10-5-04 के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 442 विभिन्न कोटि के अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के अधिग्रहण की कार्रवाई 1987 में प्रारंभ की गयी थी। इन 442 में से 13 विवादग्रस्त विद्यालयों को छोड़कर 429 संस्कृत विद्यालयों के अधिग्रहण हेतु अध्यादेश संख्या 32 दिनांक 18-12-89 प्रख्यापित किया गया। संशोधित अध्यादेश के प्रावधानानुसार इन विद्यालयों की जाँच संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से कराये जाने कार्यरत कर्मियों की अर्हत्ता आदि की जाँच किए जाने की वे सरकारी सेवा में लेने योग्य है अथवा नहीं की जाँच की जानी थी। अध्यादेश में निहित प्रावधान के आलोक में इन विद्यालयों की जाँच के बाद स्पष्ट हुआ कि 341 विद्यालय सही है तथा 86 विद्यालय शर्तों को पूर्त्ति नहीं करते हैं। जाँच में सही नहीं पाये गए 86 विद्यालयों के वेतनानुदान की सुविधा से वंचित करते हुए उनकी प्रस्वीकृति समाप्त करने की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गयी । इस बीच विद्यालयों से संबंधित अध्यादेश व्यपगत हो जाने के कारण किसी भी विद्यालय का अधिग्रहण नहीं किया गया जिसके विरुद्ध मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

प्रभावित विद्यालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने तथा विद्यालय में मानक मंडल के अतिरिक्त इकाईयों को समाप्त करने के लिए सरकार सक्षम है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात जिस तिथि से विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने तथा अतिरिक्त इकाई समाप्त करने का निर्णय लिया जायेगा। प्रस्वीकृति समाप्त करने तथा अतिरिक्त इकाईयों को समाप्त करने से संबंधित

आदेश नवम्बर95 में निर्गत हुआ था। इसलिए 86प्रतिकूल विद्यालयों के कर्मियों को नवम्बर,95 तक वेतनादि का भुगतान किया गया।

उक्त स्थिति के बाद 86 प्रतिकूल विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों द्वारा माननीय उच्चन्यायालय में याचिका दायर कियागयाकि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम की 1981 की धारा6[2] के अनुसार राज्य सरकार विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं हैं। यह शक्ति संस्कृत शिक्षा बोर्ड की है, न्यायालय द्वारा विद्यालयों के पक्ष में न्यायादेश पारित करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में यथासमय एल0पी0ए0 दायर किया गया। जिसे माननीय उच्चन्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0दायर कियागया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अपील को अपने आदेश दिनांक 9-5-01 द्वारा अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सरकार के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सिवाय इसके कि 1995 में भुगतान के बाद की अवधि से आगे की अवधि के लिए बकाये वेतनादि का भुगतान किया जाय।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्यायादेश के आलोक में तत्कालीन अध्यक्ष,बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के 86प्रतिकूल विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की एवं अध्यक्ष के आदेश संख्या-3077 दिनांक 15-6-02 के द्वारा इन विद्यालयों की प्रस्वीकृति शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण समाप्त कर दी गयी।इस प्रकार इन विद्यालयों के कर्मियों को न्यायादेश के आलोक में प्रस्वीकृति [बोर्ड द्वारा] समाप्ति की तिथि दिनांक xxxxxx15-6-02 तक की अवधि के भुगतान राज्यादेश संख्या-165 दिनांक 6-2-03 द्वारा संस्कृत शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करा दी। इस संबंध में विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को मुख्य[वित्त]मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गयाहै। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त संचिका के टिप्पणी भाग के अंश को इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-[गिरीश शंकर],
सचिव[माध्यमिक शिक्षा]।

ज्ञापांक- 331, पटना,दिनांक 21 जून,2004.

प्रतिलिपि वित्त आयुक्त,बिहार,पटना को उनके अर्द्ध सरकारी पत्रांक-6[3] म0ले0स0[कार्यालय]04/2004 दिनांक 15-05-04 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-[गिरीश शंकर],
सचिव[माध्यमिक शिक्षा]।

<u>मुख्य (वित्त) मंत्री</u>

पृ0 26/टि0 पर मुख्य [illegible] पृ0 36-38/टि0 एवं पृ0 47-52/टि0 पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा [illegible] स्पष्टीकरण का अवलोकन किया जाय ।

2. पृ0 26/टि0 पर मुख्य [illegible] के अनुसार से [illegible] शिक्षा विभाग को यह निदेश दिया गया था कि अराजकीय संस्कृत [illegible] विद्यालयों की प्रस्वीकृति वर्ष 1995 में संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा वापस न लेकर [illegible] द्वारा [illegible] के वापस लेने तथा इस बिन्दु पर सरकार के आदेश की [illegible] करने से [illegible] को समय पर पुनरीक्षित नहीं करने हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर [illegible] के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करें और 15 दिनों में मुख्य (वित्त) मंत्री को सूचना दें ।

3. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पृ0 [illegible]/टि0 तथा पृ0 47-52/टि0 की टिप्पणी में यह स्पष्ट किया है कि जिन 86 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता समाप्त की गयी थी और जिन्हें सरकार ने वेतन का भुगतान बंद कर दिया था उनके द्वारा दायर अवमाननावाद संख्या 1206/1994 में दिनांक 13.2.96 को पारित आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने यह न्याय निर्णय दिया कि राज्य सरकार किसी भी विद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द कर सकती है । माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संलग्न संचिका संख्या-13/[illegible]-53/99 के पृ0 39-36/पृ0 पर माननीय न्यायालय के उक्त न्यायादेश का उल्लेख किया है । संलग्न संचिका के पृ0 37/पृ0 पर उक्त आदेश की कंडिका-6 के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय न्यायालय ने सिर्फ यह न्याय निर्णय दिया है कि जिन विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त की गयी है [illegible] उन विद्यालयों को वेतन नहीं मिलेगा । उक्त न्यायिक निर्णय में यह बिन्दु विवेचित नहीं हुआ है कि किसी अराजकीय संस्कृत विद्यालय की प्रस्वीकृति के समाप्त करने का अधिकार सरकार को है या नहीं ।

4. पृ0 49/टि0 पर की टिप्पणी में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह उल्लेख किया है कि जिन 86 विद्यालयों की प्रस्वीकृति [illegible] में से एक विद्यालय ने याचिका संख्या-4178/99 दायर की [illegible] कि विद्यालय के कर्मी दिनांक

... 95 के बाद भी वेतन आदि का भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं क्योंकि संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा-6 (2) 'क' के अनुसार विद्यालय की प्रस्वीकृति समाप्त करने की शक्ति संस्कृत शिक्षा बोर्ड को ही है। इस संबंध में प्रशासी विभाग ने संलग्न संचिका के पृ0 ... का उल्लेख किया है। संलग्न संचिका के पृ0 159/प0 पर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-4118/99 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.8.2000 को पारित आदेश की प्रति है। उक्त संचिका के पृ0 153/प0 के कंडिका-8 में यह अवलोकन है कि बोर्ड को यह अधिकार था कि वे इन विद्यालयों की मान्यता रद्द कर सकते थे।

5. उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार ने अपील दायर की और अपील अस्वीकृत होने पर पुनर्विचार याचिका दायर की गयी। किन्तु सरकार के विरूद्ध आदेश पारित होने के बाद बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2002 में इन विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने की कार्रवाई अन्य विहित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद की। इन विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने का आदेश दिनांक 15.6.2002 को निर्गत किया गया।

6. माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये उपर्युक्त स्पष्टीकरण से यह विदित होता है कि वर्ष 2000 में सरकार के विरूद्ध माननीय न्यायालय का आदेश हुआ और उसके बाद क्योंकि शिक्षा विभाग या संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के बजाय अपील एवं पुनर्विचार याचिका दायर करना उचित समझा जिसके कारण संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा इन विद्यालयों की प्रस्वीकृति को रद्द करने में लगभग दो वर्ष का विलम्ब हुआ। किन्तु इस विलम्ब को दुर्भावना से प्रेरित विलम्ब नहीं माना जा सकता है। अपील दायर करने या पुनर्विचार याचिका दायर करने के पूर्व वैधिक परामर्श भी प्राप्त किया जाता है। अतः इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को दोषी मानना भी उचित नहीं होगा।

7. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रशासी विभाग के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले को समाप्त किया जा सकता है।

(यू0 एन0 पांजियार)

21 अग्रे देखी

6/8/03

परिशिष्ट "ग"

पत्रांक–10 / व 1 -85 / 08........658

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक — ....1/6/12.....

विषय :- लोक लेखा समिति वर्ष 2006–07 की प्रारूप कंडिका संख्या–4.2.4 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने संबंधी।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में अनुपालन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 484 दिनांक 22.06.2011 एवं 682 दिनांक 26.08.2011 द्वारा भेजी जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त विभागीय पत्रांक (अनु0 सहित) पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

31.5.12

(जितेन्द्र प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29/06/11

विषय : बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति (1) की बैठक में वर्ष 2006–07 के लिए प्रारूप कंडिका–4.2.4 के संबंध में अद्यतन विभागीय प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्र संख्या–2 लो0ले0स0–44 / 2008–1518 दिनांक–17.10.2008 के आलोक में विभागीय पत्रांक–883 दिनांक–22.09.2009 के द्वारा समिति को सौंपी गई प्रतिवेदन की प्रति एवं दिनांक–02.02.2011 को आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में कृत विभागीय कार्रवाई युक्त प्रतिवेदन जो विभागीय पत्रांक–358 दिनांक–26.04.2011 के द्वारा समिति को सौंपी गई प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रारूप कंडिका 4.2.4 के अन्तर्गत दर्शाए गई राशि 8.27 करोड़ रूपये के विरूद्ध जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 7,95,00,611 /– (सात करोड़ पंचानवे लाख छः सौ ग्यारह) रूपये मात्र मदरसा कर्मियों को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करनी थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सितामढी के अनुसार कुल 7,63,86,854 /– (सात करोड़ तिरसठ लाख छियासी हजार आठ सौ चौवन) रूपये मात्र वसूली की सूचनायुक्त प्रतिवेदन समिति को सौंपते हुए शेष 31,13,757 /– (इकतीस लाख तेरह हजार सात सौ सन्तावन) रूपये मात्र की वसूली, इससे संबंधित कर्मी की मृत्यु, सेवा निवृत्ति, पदत्याग या वेतन भुगतान स्थगित किए जाने के फलस्वरूप नहीं होने की सूचना के साथ प्रारूप कंडिका–4.2.4 को मानव संसाधन विकास विभाग की सूची से विलोपित करने का अनुरोध समिति से किया गया था।

इस दौरान लोक लेखा समिति की बैठक में प्रारूप कंडिका–4.2.4 के अन्तर्गत शेष राशि 31,13,757 /– के वसूली के निमित्त समिति के निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया ने अपने पत्रांक–281 दिनांक–25.04.2011 के द्वारा कि गये वसूली हेतु शेष राशि कुल 1503216 /– (पन्द्रह लाख तीन हजार दो सौ सोलह) रूपये को चालानों (1) 1501835 /– (पन्द्रह लाख एक हजार आठ सौ पैंतीस) ...

1381/ (एक हजार तीन सौ इकासी) रूपये मात्र के माध्यम से कोषागार में जमा कर ... की सूचना विभाग को प्रतिवेदित किया है। (चालान की प्रति संलग्न)

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया ने अपने ...ांक–274 दिनांक–22.04.2011 के द्वारा सूचित किया है कि उनके जिले के अन्तर्गत ...ल 3,85,320/– (तीन लाख पचासी हजार तीन सौ बीस) रूपये मात्र वसूली कर ली गई है, जिन्हें क्रमशः दिनांक 13.05.2010 को भो0–353575/– (तीन लाख तीरपन हजार पांच सौ पचहत्तर) रूपये मात्र के दो चालानों के माध्यम से जमा करा दिये जाने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–882 दिनांक 26.04.2011 के द्वारा जिले में अवस्थित 31 प्रस्वीकृत मदरसों में से 21 मदरसों के 35 कर्मियों से राशि वसूली किये जाने की कार्रवाई के तहत मदरसों के 21 (इक्कीस) कर्मियों के विरूद्ध आवासीय पता प्राप्त होने पर Cetificate Case दायर किए जाने की सूचना विभाग को दी गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

शेष कर्मियों का आवासीय पता शीघ्र प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उनके विरूद्ध अविलम्ब Certificate Case दायर करने का निदेश विभाग के द्वारा दिया गया है।

इस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर वसूली गई राशि को कोषागार में जमा की गई चालानों की प्रति के साथ भेजी जा रही है।

कृपया उपरोक्त तथ्यों/सूचनाओं के आलोक में प्रारूप कंडिका–4.2.4 को विभाग की लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक यथोपरि (पाँच प्रतियाँ)

विश्वासभाजन

(ह०) 22.6.11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 10/व 1–85/08...484 पटना, दिनांक 22/06/11

प्रतिलिपि :– उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 22.6.11

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक यथोपरि (बीस प्रतियाँ)

क्रमांक	जिला का नाम	कंडिका के अनुसार अधिक भुगतान की गई राशि	जिला शिक्षा पदाधिकारी [illegible] प्रतिवेदन के अनुसार वसूलनीय राशि	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वसूली गई राशि	कोषागार चालान द्वारा जमा की गई राशि चालान संख्या / दिनांक	शेष राशि	अभयुक्ति
1.	अररिया	1.70 करोड़	1,43,67,793.00	(1)1,46,29,931.00 (2) 3,53,575.00 (3 31,745.00 1,50,15,251.00	(1)1,46,29,931.00 (चा0सं0–11.08.08) (2)3,53,575.00 (चा0सं0–13.05.08) (3)31,745.00 (चा0सं0–15.02 11) कुल–1,50,15,251.00	कोई राशि बची नहीं	
2	किशनगंज	3.55 करोड़	3,44,32,246.00	(1)3,44,32,246.00	(1)3,44,32,246.00 (दि0–7.03.08)	कोई राशि शेष नहीं है।	
3	पूर्णिया	2.55 करोड़	2,15,46,111.00	(1)2,15,46,111.00	(क)(1)1,65,27,164.00 (चा0दि0–[illegible]) (2)15,01,835.00 (चा0दि0–18.03.08) (3)1381.00 कुल–1,80,30,380.00 (ख)(1)35,15,731.00 (वसूल की गई राशि में से जि0 शि0 पदा0 मधुबनी [illegible]) कुल –2,15,46,111.00	कोई राशि बची नहीं है	
4	सीतामढ़ी	0.87 करोड़	86,54,461.00	(1)72,81,782	(1)72,81,782.00 (चा0दि0–20.02.08)	13,72,679.00	शेष राशि वसूली हेतु जि0 शि0 पदा0 सीतामढ़ी को सम्बन्धित कर्मियों के विरूद्ध अविलम्ब Certificate Case दायर कर वसूली का निदेश
		8.27 करोड़	[illegible]00,611.00	78275390.00	74759659.00	13,72,679.00	

Under Rs. 1,46,29,932/- (One crore forty six lakh twenty nine thousand nine hundred thirty two) only.

(बी-53. प्रपत्र सं० 186 एच।
कोष प्रपत्र-8
(देखें नियम 101 वि० को० सं० भाग-1)

प्रपत्र पूर्ण

चालान नं०

ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी .... में दाखिल किया जायगा
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया।
रिजर्व

चालान बाबत नकद रुपया जो मुकाम .... में

DUPLICATE

भेजने वाला भरेगा				महकमें के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय	भेजे जाने वाले रुपये का और हुक्म का (अगर कोई हो) पूरा ब्यौरा।	रकम	हिसाब का मद।	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायगी	* बैंक का हुक्म
[illegible]	श्री दिलीप कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया	मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा D.A के मद मद में अधिक भुगतान राशि को कटौती का वापस करने हेतु	14629931/-	[illegible] 0202 [illegible] 1000 [illegible] 0202040500	Dilip Kumar 11/8/08	यहाँ रुपया दाखिल करने वाले रसीद के और रसीद देने वाले का हुक्म और पूरा ओहदा
		+ जोड़	14629931/-			

*सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायेगा।
+ (लफ्जों में) रुपया एक करोड़ छियालीस लाख उनतीस हजार नौ सौ एकतीस रूपया मात्र।

रुपया मिला।

Dilip Kumar 11/8/08

ट्रेजरर .... एकाउन्टेन्ट .... तारीख .... ट्रेजरी अफसर

नोट : 1-ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में 500) रुपये से कम की रकम के लिये रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरुरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत [illegible] सिविल स्टाम्पों के लिए दिये हुये नगद रुपयों और चेकों के लिये रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिये। नोट : 2. दाखिल किये गये रुपया का ब्यौरा पुश्त पर दिया जाना चाहिये। नोट : 3. उन हालतों में जहाँ सीधे बैंक में अमानत करने की इजाजत है वहाँ "हिसाब का मद" वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेन्ट अफसर से, जैसी हालत हो बैंक का [illegible] पर्दे के बाद पर भरा जायगा।

आदेश नवम्बर95 में निर्गत हुआ था। इसलिए 86प्रतिकूल विद्यालयों के कर्मियों को नवम्बर,95 तक वेतनादि का भुगतान किया गया ।

उक्त स्थिति के बाद 86 प्रतिकूल विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों द्वारा माननीय उच्चन्यायालय में याचिका दायर कियागया कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम की 1981 की धारा6[2] के अनुसार राज्य सरकार विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। यह शक्ति संस्कृत शिक्षा बोर्ड की है, न्यायालय द्वारा विद्यालयों के पक्ष में न्यायादेश पारित करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में यथासमय एल0पी0ए0 दायर किया गया। जिसे माननीय उच्चन्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0दायर कियागया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अपील को अपने आदेश दिनांक 9-5-01 द्वारा अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सरकार के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सिवाय इसके कि 1995 में भुगतान के बाद की अवधि से आगे की अवधि के लिए बकाये वेतनादि का भुगतान किया जाय।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्यायादेश के आलोक में तत्कालीन अध्यक्ष,बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के 86प्रतिकूल विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की एवं अध्यक्ष के आदेश संख्या-3077 दिनांक 15-6-02 के द्वारा इन विद्यालयों को प्रस्वीकृति शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण समाप्त कर दी गयी।इस प्रकार इन विद्यालयों के कर्मियों को न्यायादेश के आलोक में प्रस्वीकृति [बोर्ड द्वारा] समाप्ति की तिथि दिनांक ~~ककककक~~15-6-02 तक की अवधि के भुगतान राज्यादेश संख्या-165 दिनांक 6-2-03 द्वारा संस्कृत शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करा दी। इस संबंध में विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को मुख्य[वित्त]मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गयाहै। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त संचिका के टिप्पणी भाग के अंश को इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/-[गिरीश शंकर],
सचिव[माध्यमिक शिक्षा]।

ज्ञापांक- 331, पटना,दिनांक 21 जून,2004.

प्रतिलिपि वित्त आयुक्त,बिहार,पटना को उनके अर्द्ध सरकारी पत्रांक-6[अ] लो0ले0स0[कार्यान्वय]04/2004 दिनांक 15-05-04 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-[गिरीश शंकर],
सचिव[माध्यमिक शिक्षा]।

<u>मुख्य (वित्त) मंत्री</u>

पृ0 26/टि0 पर [illegible] पृ0 36-38/टि0 एवं पृ0 47-52/टि0 पर माध्यमिक शिक्षा विभाग [illegible] स्पष्टीकरण का अवलोकन किया जाय ।

2. पृ0 26/टि0 पर मुख्य (वित्त) मंत्री के [illegible] से [illegible] शिक्षा विभाग को यह निदेश दिया गया था कि अराजकीय [illegible] संस्कृत विद्यालयों की प्रस्वीकृति वर्ष 1995 में संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा वापस न लेकर [illegible] के वापस लेने तथा इस बिन्दु पर सरकार के आदेश को [illegible] के समय पर पुनरीक्षित नहीं करने हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर [illegible] के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करें और 15 दिनों में मुख्य (वित्त) मंत्री को सूचना दें ।

3. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पृ0 [illegible]/टि0 तथा पृ0 47-52/टि0 की टिप्पणी में यह स्पष्ट किया है कि जिन 86 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता समाप्त की गयी थी और जिन्हें सरकार ने वेतन का भुगतान बंद कर दिया था उनके द्वारा दायर अवमाननावाद संख्या 1206/1994 में दिनांक 13.2.96 को [illegible] आदेश द्वारा माननीय न्यायालय ने यह न्याय निर्णय दिया कि राज्य सरकार किसी भी विद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द कर सकती है । माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संलग्न संचिका संख्या 13-[illegible]-53/99 के पृ0 39-36/प0 पर माननीय न्यायालय के उक्त न्यायादेश का उल्लेख किया है । संलग्न संचिका के पृ0 37/प0 पर उक्त आदेश की कंडिका-6 के अवलोकन से विदित होता है कि माननीय न्यायालय ने सिर्फ यह न्याय निर्णय दिया है कि जिन विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त की गयी है [illegible] उन विद्यालयों को वेतन नहीं मिलेगा । उक्त न्यायिक निर्णय में यह बिन्दु विवेचित नहीं हुआ है कि किसी अराजकीय संस्कृत विद्यालय की प्रस्वीकृति के [illegible] का [illegible] सरकार को है या नहीं ।

4. पृ0 49/टि0 पर की टिप्पणी में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह उल्लेख किया है कि जिन 86 विद्यालयों की प्रस्वीकृति [illegible] उनमें से एक विद्यालय ने याचिका संख्या-4178/99 दायर [illegible] कि विद्यालय के कर्मी दिनांक

... 95 के बाद भी वेतन आदि का भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं क्योंकि संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा-6 (2) 'क' के अनुसार विद्यालय की प्रस्वीकृति समाप्त करने की शक्ति संस्कृत शिक्षा बोर्ड को ही है । इस संबंध में प्रशासी विभाग ने संलग्न संचिका के पृ0 ...पृ0 का उल्लेख किया है । संलग्न संचिका के पृ0 159/प0 पर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0-4118/99 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.8.2000 को पारित आदेश की प्रति है । संलग्न संचिका के पृ0 153/प0 के कंडिका-8 में यह अवलोकन है कि बोर्ड को यह देखना है कि वे इन विद्यालयों की मान्यता रद्द कर सकते थे ।

5. उक्त आदेश के विरूद्ध सरकार ने अपील दायर की और अपील अस्वीकृत होने पर पुनर्विचार याचिका दायर की गयी । किन्तु सरकार के विरूद्ध आदेश पारित होने के बाद बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मार्च, 2002 में इन विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने की कार्रवाई सम्यक् विहित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद की । इन विद्यालयों की प्रस्वीकृति समाप्त करने का आदेश दिनांक 15.6.2002 को निर्गत किया गया ।

6. माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये उपर्युक्त स्पष्टीकरण से यह विदित होता है कि वर्ष 2000 में सरकार के विरूद्ध माननीय न्यायालय का आदेश हुआ और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग या संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के बजाय अपील एवं पुनर्विचार याचिका दायर करना उचित समझा जिसके कारण संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा इन विद्यालयों की प्रस्वीकृति को रद्द करने में लगभग दो वर्ष का विलम्ब हुआ । किन्तु इस विलम्ब को दुर्भावना से प्रेरित विलम्ब नहीं माना जा सकता है । अपील दायर करने या पुनर्विचार याचिका दायर करने के पूर्व वैधिक परामर्श भी प्राप्त किया जाता है । अतः इसके लिए किसी पदाधिकारी विशेष को दोषी मानना भी उचित नहीं होगा ।

7. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रशासी विभाग के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मामले को समाप्त किया जा सकता है ।

(यू0 एन0 पंजियार)

21 अ.से. दे.
6/8/03

परिशिष्ट "ग"

पत्रांक–10 / व 1 -85 / 08........658

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक — 1/6/12

विषय : लोक लेखा समिति वर्ष 2006–07 की प्रारूप कंडिका संख्या–4.2.4 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने संबंधी।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में अनुपालन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 484 दिनांक 22.06.2011 एवं 682 दिनांक 26.08.2011 द्वारा भेजी जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त विभागीय पत्रांक (अनु0 सहित) पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

31.5.12

(जितेन्द्र प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29/06/11

विषय : बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति (1) की बैठक में वर्ष 2006–07 के लिए प्रारूप कंडिका–4.2.4 के संबंध में अद्यतन विभागीय प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्र संख्या–2 लो0ले0स0–44 / 2008–1518 दिनांक–17.10.2008 के आलोक में विभागीय पत्रांक–883 दिनांक–22.09.2009 के द्वारा समिति को सौंपी गई प्रतिवेदन की प्रति एवं दिनांक–02.02.2011 को आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में कृत विभागीय कार्रवाई युक्त प्रतिवेदन जो विभागीय पत्रांक–358 दिनांक–26.04.2011 के द्वारा समिति को सौंपी गई प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रारूप कंडिका 4.2.4 के अन्तर्गत दर्शाए गई राशि 8.27 करोड़ रूपये के विरूद्ध जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 7,95,00,611 / – (सात करोड़ पंचानवे लाख छः सौ ग्यारह) रूपये मात्र मदरसा कर्मियों को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करनी थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी के अनुसार कुल 7,63,86,854 / – (सात करोड़ तिरसठ लाख छियासी हजार आठ सौ चौवन) रूपये मात्र वसूली की सूचनायुक्त प्रतिवेदन समिति को सौंपते हुए शेष 31,13,757 / – (इकतीस लाख तेरह हजार सात सौ सन्तावन) रूपये मात्र की वसूली, इससे संबंधित कर्मी की मृत्यु, सेवा निवृत्ति, पदत्याग या वेतन भुगतान स्थगित किए जाने के फलस्वरूप नहीं होने की सूचना के साथ प्रारूप कंडिका–4.2.4 को मानव संसाधन विकास विभाग की सूची से विलोपित करने का अनुरोध समिति से किया गया था।

इस दौरान लोक लेखा समिति की बैठक में प्रारूप कंडिका–4.2.4 के अन्तर्गत शेष राशि 31,13,757 / – के वसूली के निमित्त समिति के निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया ने अपने पत्रांक–281 दिनांक–25.04.2011 के द्वारा कि ... वसूली हेतु शेष राशि कुल 1503216 / – (पन्द्रह लाख तीन हजार दो सौ सोलह) रूपये के चालानों (1) 1501835 / – (पन्द्रह लाख एक हजार आठ सौ पैंतीस) +

1381/ (एक हजार तीन सौ इकासी) रूपये मात्र के चालान से कोषागार में जमा कर दिये की सूचना विभाग को प्रतिवेदित किया है। (चालान की प्रति संलग्न)

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक--274 दिनांक--22.04.2011 के द्वारा सूचित किया है कि उनके जिले के अन्तर्गत कुल 3,85,320/-- (तीन लाख पचासी हजार तीन सौ बीस) रूपये मात्र वसूली कर ली गई है, जिन्हें क्रमशः दिनांक 13.05.2010 को मो0--353575/-- (तीन लाख तीरपन हजार पांच सौ पचहत्तर) रूपये मात्र के दो चालानों के माध्यम से जमा करा दिये जाने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक--882 दिनांक 26.04.2011 के द्वारा जिले में अवस्थित 31 प्रस्वीकृत मदरसों में से 21 मदरसों के 35 कर्मियों से राशि वसूली किये जाने की कार्रवाई के तहत मदरसों के 21 (इक्कीस) कर्मियों के विरूद्ध आवासीय पता प्राप्त होने पर Cetificate Case दायर किए जाने की सूचना विभाग को दी गई है। (पत्र की प्रति संलग्न)

शेष कर्मियों का आवासीय पता शीघ्र प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उनके विरूद्ध अविलम्ब Certificate Case दायर करने का निदेश विभाग के द्वारा दिया गया है।

इस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर वसूली गई राशि को कोषागार में जमा की गई चालानों की प्रति के साथ भेजी जा रही है।

कृपया उपरोक्त तथ्यों/सूचनाओं के आलोक में प्रारूप कंडिका--4.2.4 को विभाग की लम्बित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक यथोपरि (पाँच प्रतियाँ)

विश्वासभाजन

22.6.11

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-- 10/व 1--85/08...484 पटना, दिनांक 22/06/11

प्रतिलिपि :-- उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.6.11

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक यथोपरि (बीस प्रतियाँ)

क्रमांक	जिला का नाम	कंडिका के अनुसार अधिक भुगतान की गई राशि	जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार वसूलनीय राशि	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वसूली गई राशि	कोषागार चालान द्वारा जमा की गई राशि चालान संख्या / दिनांक	शेष राशि	अभ्युक्ति
1.	अररिया	1.70 करोड़	1,43,67,793.00	(1)1,46,29,931.00 (2) 3,53,575.00 (3) 31,745.00 1,50,15,251.00	(1)1,46,29,931.00 (चा0सं0–11.03.08) (2)3,53,575.00 (चा0सं0–13.05.08) (3)31,745.00 (चा0सं0–15.02.11) कुल–1,50,15,251.00	कोई राशि बची नहीं	
2	किशनगंज	3.55 करोड़	3,44,32,246.00	(1)3,44,32,246.00	(1)3,44,32,246.00 (दि0–7.03.08)	कोई राशि शेष नहीं है।	
3	पूर्णिया	2.55 करोड़	2,15,46,111.00	(1)2,15,46,111.00	(क)(1)1,65,27,164.00 (चा0दि0–[illegible]) (2)15,01,835.00 (चा0दि0–18.03.08) (3)1381.00 कुल–1,80,30,380.00 (ख)(1)35,15,731.00 (वसूल की गई राशि में से जि0 शि0 पदा0 मधुबनी [illegible]) कुल –2,15,46,111.00	कोई राशि बची नहीं है	
4	सीतामढ़ी	0.87 करोड़	86,54,461.00	(1)72,81,782	(1)72,81,782.00 (चा0दि0–20.02.08)	13,72,679.00	शेष राशि वसूली हेतु जि0 शि0 पदा0 सीतामढ़ी को सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध अविलम्ब Certificate Case दायर कर वसूली का निदेश
		8.27 करोड़	[illegible]	78275390.00	74759659.00	13,72,679.00	

Rs. 1,46,29,932/- (One crore forty six lakh twenty nine thousand nine hundred thirty two) only.

बी-53. प्रपत्र सं० 186 एच। प्रपत्र-8
(देखें नियम 101 वि० को० सं० भाग-1)

चालान नं०

ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी में दाखिल किया जायगा
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया।
रिजर्व

चालान बाबत नकद रुपया जो मुकाम .... को

DUPLICATE

भेजने वाला भरेगा				महकमें के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय	भेजे जाने वाले रुपये का और हुक्म का (अगर कोई हो) पूरा ब्यौरा।	रकम	हिसाब का मद	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायगी	*बैंक का हुक्म
दिलीप कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद	श्री दिलीप कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद	मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा D.A. के मद में अधिक लौटाई राशि को कटौती कर वापस करने हेतु	1,46,29,931/-	मुख्य शीर्ष—0202 शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति—01 सामान्य शिक्षा—01 प्रारंभिक शिक्षा 105—आम प्राप्तियाँ—800—0202010105001—अन्य प्राप्ति	Dilip Kumar 11/8/08	नीचे लिखी रकम की रसीद दे दीजिये। रुपया दाखिले के हुक्म की तारीख और पूरा ब्यौरा
		+ जोड़	1,46,29,931/-			

*सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायेगा।

+(लपजों में) रुपया एक करोड़ छियालीस लाख उनतीस हजार नौ सौ एकतीस रुपया मात्र।

रुपया मिला।

Dilip Kumar 11/8/08

ट्रेजरर .... एकाउन्टेन्ट .... तारीख .... ट्रेजरी अफसर/मैनेजर

नोट : 1-ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में 500) रुपये से कम की रकम के लिये रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत काफी होंगे। सिविल सर्विस स्टाम्पों के लिए दिये हुये नगद रुपयों और चेकों के लिये रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिये। नोट : 2. दाखिल किये गये रुपये का ब्यौरा पुश्त पर दिया जाना चाहिये। नोट : 3. उन हालतों में जहाँ सीधे बैंक में अमानत करने की इजाजत है वहाँ "हिसाब का मद" वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेन्ट अफसर से, जैसी हालत हो बैंक का खाता फर्द के पाने पर भरा जायगा।

... Three lakh fifty three thousand five hundred Seventy six only

बिहार कोषागार-प्रपत्र संख्या 186 एम।
बि० की० प्रपत्र-8
(देखें नियम वि० 101 वि० को० स० भाग ...)
चालान बाबत नकद रुपया जो मुकाम ... सब ट्रेजरी ... में दाखिल किया जा
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया
रिजर्व

ORIGINAL
PROVINCIAL

Dilip Kumar
जिला शिक्षा पदाधिकारी
अररिया
11.05.18

भेजने वाला भरेगा।				महकमे के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाये।	भेजे जाने वाले रुपये का और हुक्म का (अगर कोई हो) पूरा ब्योरा	रकम	हिसाब का मद।	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायगी।	* बैंक का हुक्म
नाम - मो० (इम्तेयाज आलम)	श्री दिलीप कुमार जिला शिक्षा पदा० अररिया	मध्याह्न भोजन D.A.H. अधिकारी प्रखंड कार्यालय का जमा करना है।	353575	मुख्य शीर्ष 0202 - शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति उप मुख्य शीर्ष 01 - प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष 105 - प्राथमिक शिक्षा 0001 - आवर्ती 0202011050001	Dilip Kumar जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया 11.05.18	सही है। रुपया लीजिये और रसीद दे दीजिये। रुपया दाखिल करने का हुक्म देने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा।
		जोड़	353575			

कोषागार हेतु - मो० इम्तेयाज आलम

* सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायगा।

* (अक्षरों में) रुपया। तीन लाख तिरपन हजार पाँच सौ पचहत्तर रुपये मात्र

रुपया मिला।

ट्रेजरर ... एकाउनटेन्ट ... तारीख ... ट्रेजरी अफसर/एजेन्ट

Dilip Kumar
जिला शिक्षा पदाधिकारी
अररिया

नोट 1 - ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में 500) रुपये से कम की रकम के लिए रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन सर्विस स्टाम्पों के लिए दिये हुए नकद रुपये और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए। 2. दाखिल किये गये रकम का ब्योरा पुश्त पर दिया जाना चाहिये। नोट 3 :- उन हालतों में जहाँ सीधे बैंक में जमानत करने की इजाजत है वहाँ "हिसाब का मद" वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टस अफसर से, जैसी हालत हो, बैंक को भेजे जाने के पाने पर भरा जायगा।

11/5/18

Rs. 31,745/- (Thirty One Thousand Seven hundred forty-six) only.

आर्थिक ... संख्या 186 एच।
टी० सी० फार्म-8
(देखो नियम वि० 10। वि० को० स० भाग-1)
चालान-रुपया जो मुताल्लिक ...

जिला शिक्षा पदाधिकारी
ट्रेजरी/सब ट्रेजरी
के अररिया में दाखिल किया जाय।
12.02.11
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया।
रिजर्व

भेजने वाला भरेगा।				महकमे के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय।	भेजे जाने वाले रुपये का और हुक्म का (अगर कोई हो) ब्योरा	रकम	हिसाब का मद।	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जाएगी।	• बैंक का हुक्म
नाम - श्री प्रमोद कुमार झा ... दस्तखत	श्री दिलीप कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया	मदरसा कर्मियों का D.A. में अधिक निकासी की कटौती कर जमा किया गया	31,745/- / 31,745	R-020201105000	जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया 12.02.11	सही है। ... लिखिये और रुपया दाखिल करने का हुक्म देने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा। तारीख

• सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में सिर्फ काम में लाया जायगा।

• (लफ्जों में) रुपया। एकतीस हजार सात सौ पैंतालीस रुपये मात्र

रुपया मिला।

ट्रेजरर .... एकाउन्टेन्ट .... तारीख .... एजेन्ट ....

जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया

नोट: 1. ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में (200) रुपये से कम रकम के लिए रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेन्ट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन सर्विस स्टाम्प के लिए दिये हुए रुपये और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए। नोट 2. दाखिल किये गये रकम का ब्योरा पुश्त पर दिया जाना चाहिये। नोट 3. उन हालतों में जहाँ सीधे बैंक में जमानत करने की इजाजत है वहा "हिसाब का खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्ट्स अफसर ... ऐसी हालत में बैंक का रोजाना पर्चे के पाने पर भरा जायगा।

रु० (34432247=00) ~~Three Crore~~ forty four lakh ~~thirty two~~ thousand two hundred forty seven only.

जिला शिक्षा पदाधिकारी

गोपालगंज

भेजने वाला भरेगा

किसने दाखिल किया	नाम (ओहदा) पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाता	भेजे जानेवाले रुपये का और मुतल्लिक (अगर कोई हो) पूरा ब्यौरा।	रकम	हिसाब का नाम	अधिकारी जिससे तक से पत्र व्यवहार करना हो	बैंक का हुक्म
	जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज	निदेशक (मा०शि०) बिहार पटना के पत्रांक 793 दिनांक 12-7-07 के द्वारा स्वरूप कमिटि का मद्द... प्रयोग ली गई राशि का बराबर किस्तों में कटौती के पश्चात् उसे जमा करने के सम्बन्ध में।	3,44,32,246=00	मुख्य शीर्ष - 2202 खेलकूद कला तथा संस्कृति उप मुख्य शीर्ष - ... लघु शीर्ष - ... आय विभाग, उपशीर्ष - 0001 - आय विभाग विपत्र कोड :- R02020110500	जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज	सही है। कैशियर और सही है। रुपया दाखिल करने पर हुक्म देने वाले का दस्तखत और पूरा ओहदा। तारीख
		जोड़ :-	3,44,32,246=00			

रुपये ... के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में ... जायगा।

(शब्दों में) रुपया :- तीन करोड़ चौवालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ छियालीस रुपये मात्र।

मा० 1,65,27,164/- (एक करोड़ पैंसठ लाख सत्ताईस हजार एक सौ चौंसठ) रूपये मात्र के अन्तर्गत।

अनु० न० 53- प्रपत्र संख्या 186 एच।
टी० सी० प्रपत्र-8
(देखें नियम 101 बि० को० सं० भाग-1)

चालान नं० जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ
ट्रेजरी/सब ट्रेजरी पूर्णियाँ में दाखिल किया गया।
चालान बाबत नकद रुपया जो मुकाम पूर्णियाँ
इम्पीरियल / रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

भेजने वाला भरेगा।				महकमे के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (ओहदा) पता उस आदमी का जिनकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय।	भेजे जाने वाले रुपये का और हुक्म का (अगर कोई हो) पूरा ब्यौरा	रकम	हिसाब का मद।	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम प्रमाणित की जायगी।	● बैंक का हुक्म।
नाम- गनौरी सिंह आदेशपाल दस्तखत-	(अनिरुद्ध चौधरी) जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णियाँ	निदेशक (माध्यमिक) बिहार, पटना के पत्रांक 759 दिनांक 27.08.07 के निदेशानुसार मदरसा कर्मियों से वसूली गई राशि P.N.B. Purnea Cheque No. 822152 14.7.08	16527164-00	0202-शिक्षा, [illegible] 01-सामान्य शिक्षा 105-[illegible] 800-[illegible] 0001-[illegible] 00202-[illegible]	(अनिरुद्ध चौधरी) जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णियाँ	सही है। [illegible] रुपया दाखिल करने का हुक्म [illegible] वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा। तारीख
		जोड़	16527164-00			

T 1604555
12.07.08

● सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में लिखे जाने के लिये
● (लफ्जों में) रुपया। (एक करोड़ पैंसठ लाख सत्ताईस हजार एक सौ चौंसठ) रूपये मात्र

रुपया मिला
ट्रेजरर — एकाउंटेंट — ट्रेजरी अफसर/एजेंट

अभिप्रमाणित
जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णियाँ

State Bank of [illegible] Purnea — CLEARING

नोट:-1 ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में 500) रुपये से कम [illegible] के ट्रेजरी अफसर के अलावा [illegible] एकाउन्टेंट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन सर्विस स्टाम्पों के लिये दिये हुये नकद रुपयों और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिये। नोट: 2. दाखिल किये गये रकम के [illegible] उन हालतों में जहाँ सीधे बैंक में जमानत करने की इजाजत है वहाँ 'हिसाब का मद' वाला खाना ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेंट [illegible] बैंक का खजाना [illegible]

रु० 15018 36 (पन्द्रह लाख अठारह हजार ...) मात्र ... में ... जमा किया

(देखिए नियम 131 वि. को भाग 1)

चालान जिसके द्वारा रुपया ... पूर्णिया ... जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया ... स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ... में दाखिल किया गया।

...कार्यालय द्वारा भरा जायगा / महकमे के अफसर का ट्रेजरी में भरना

किसने दाखिल किया	नाम (या ओहदा) और उस आदमी का ठिकाना जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय	भेजे जाने वाले रुपया का और हुक्म का (अगर कोई हो) पूरा ब्योरा।	रकम	हिसाब का पद।	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी	बैंक को हुक्म
नाम - राम शंकर भगत दस्तखत - [illegible]	जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णियाँ	डि. पु. नियोजन (प्रा. शि.) 1992 से पारा 178 दिनांक 25.2.11 के द्वारा मद 2 द्वारा 1 ... धारा ... में अधिकाय ... राशि की वापसी — स्टेट बैंक ... चेक-677499 दिनांक 22.4.11	15018 35	[illegible] — 05 — ... 2202 ... शिक्षा ...	N 2202 05 911 0002	... पूर्णिया ...
		जोड़	1501835			

सरकारी अफसर या खजाने बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में (यहाँ) में लाया जायेगा।

(लफ्जों में रुपया) (पन्द्रह लाख एक हजार आठ सौ पैंतीस) रुपये, मात्र

रुपया मिला।

ट्रेजरी ... तारीख ... ट्रेजरी ऑफिसर एजेन्ट

नोट 1. इस चालान से दाखिल किये जाने वाले रुपये की रकम में 1000/- रुपये से कम की रकम के लिए ... या ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउन्टेंट और ट्रेजरर के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन सार्वजनिक रकमों के लिए दिये हुए रकम ... के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए।

नोट 2. दाखिल किये गये रकम का ब्योरा पुश्त पर दिया जाना चाहिए।

नोट 3. ... जहाँ सीधे बैंक में अदायगी करने की प्रथा है वहाँ ... ट्रेजरी अफसर ... बैंक को ... जायेगा।

FROM : [illegible] FAX NO. : [illegible] 25 Apr. 2011 [illegible] P2

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ

चालान नं०

चालान बावत नगद रुपया जो मुकाम पूर्णियाँ के ट्रेजरी/सब ट्रेजरी स्टेट/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में दाखिल किया जाय।

भेजने वाला भरेगा				महकमे के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
किसने दाखिल किया	नाम (या ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाए	भेजे जाने वाले रुपये का और (रकम का (अगर कोई हो) पूरा ब्योरा।	रकम	हिसाब का पद।	लेखा पदाधिकारी जिनके द्वारा रकम समायोजित की जायेगी	बैंक का हुक्म
नाम - एस० एन० [illegible] दस्तखत - [illegible]	जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णियाँ	[illegible] State Bank of India PURNEA [illegible] 677050 [illegible] 25-4-11 जोड़ -	13 81/- 1381/-	[illegible]	जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णियाँ	सही है सो लीजिये और रसीद दे दीजिये। रुपया दाखिल करने का हुक्म देने वाले अफसर का दस्तखत और पूरा ओहदा।

सरकारी अफसर के जरिये बैंक में रुपया [illegible] जाने की हालत में सिर्फ में लाया जायेगा।

(अक्षरों में रुपया) [illegible]

रुपया मिला

ट्रेजरर

तारीख

ट्रेजरी ऑफिसर/एजेन्ट

नोट 1. ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में 500/- रुपये से कम की रकम के लिए रसीदों पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ एकाउंटेंट और ट्रेजरार के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन [illegible] के लिए दिये हुये नकद रुपयों और चेकों के लिए रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होना चाहिए।

नोट 2. दाखिल किये गये रकम का ब्योरा पुश्त पर दिया जाना चाहिए।

नोट 3. उन हालतों में जहां सीधा बैंक में अमानत करते [illegible] वहां "हिसाब का पद" [illegible] ट्रेजरी अफसर से कौसी हालत हो बैंक को [illegible] के भरे पर भरा जायेगा।

[illegible handwritten line]

अ० सूची 53–प्रपत्र संख्या [illegible]
टी०सी० प्रपत्र–8
(देखें नियम, 101 सि० कोड [illegible])
[illegible] बाबत नगद रुपया जो [illegible] ट्रेजरी / सब-ट्रेजरी में दाखिल किया जाय।
[illegible] बैंक आफ इंडिया।

भेजने वाला भरेगा				जाने के अफसर या ट्रेजरी में भरेगा		
[illegible]	नाम (या ओहदा) और पता उस आदमी का जिसकी तरफ से रुपया दाखिल किया जाय।	भेजे जाने वाले रुपये का और हुकम का (अगर कोई हो) पूरा ब्योरा	रकम	हिसाब का मद	लेखा पदाधिकारी जिसके द्वारा समायोजित की जायगी	*बैंक का हुकम
	[illegible]	[illegible] 2006-07 [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		जोड़	[illegible]			

* सरकारी अफसर के ज़रिये बैंक में रुपया भेजे जाने की हालत में लाया जायगा।
† (लफ्जों में) रुपया [illegible]

रुपया मिला।
[illegible] एकाउन्टेन्ट [illegible] तारीख [illegible] ट्रेजरी अफसर / एजेन्ट

* ट्रेजरी में दाखिल किये जाने वाले रुपये की हालत में [illegible] के लिए [illegible] पर ट्रेजरी अफसर के दस्तखत की जरूरत नहीं है सिर्फ [illegible] के दस्तखत की जरूरत है। लेकिन [illegible] रुपयों और [illegible] के लिये रसीद पर हमेशा ट्रेजरी अफसर का दस्तखत होगा और [illegible] रकमों का [illegible] पुस्त पर दिया जाना चाहिये [illegible] उन हालतों में [illegible] बैंक में अदायगी करने की इजाजत है वहाँ [illegible] ट्रेजरी अफसर या एकाउन्टेन्ट अफसर से [illegible] हालत तो बैंक का [illegible] भरा जायगा।

संख्या लो०ले०स०-92(2005-II)/2012-13/147.
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 06/03/2013

सेवा में,

उप सचिव
बिहार विधान सभा,
पटना।

विषय :– लोक लेखा समिति के प्रारुप प्रतिवेदन सं० 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।

प्रसंग :- आपका पत्र सं.– (1) 2लो.ले.स.–26/13–167/वि.स.,
(2) 2लो.ले.स.– 27/13–168/वि.स.,
(3) 2लो.ले.स.–28/13–169/वि.स.,
(4) 2लो.ले.स.–29/13–170/वि.स.,
(5) 2लो.ले.स.–30/13–171/वि.स.
दिनांक 01.03.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल एवं राजस्व प्राप्तियाँ) की परिवहन विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षो की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रारुप प्रतिवेदन सं. 503, 504, 505, 506, 507, 508 एवं 510 में आवश्यक सुधार तथा संपरीक्षण के पश्चात् मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नकः– प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

06/03/13

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
बिहार, पटना

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
2013